<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>18.12.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **कॉनकास्ट स्टील एंड पावर ग्रुप** के 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। उक्त ग्रुप ने 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और 5 वित्तीय संस्थानों से ऋण सुविधा का लाभ उठाया था, जिसमें कुल 6210 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट था, क्योंकि कंपनी 30.9.2016 को एनपीए में बदल गई थी।

ईडी ने कंसोर्टियम के प्रमुख बैंक एसबीआई द्वारा दायर शिकायत के आधार पर संजय सुरेका और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, बीएसएफबी, कोलकाता द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

कॉनकास्ट समूह को संजय सुरेका द्वारा प्रवर्तित किया गया था और यह कोलकाता में स्थित था, जिसमें स्पंज आयरन, पिग आयरन, माइल्ड स्टील, रोल्ड उत्पाद जैसे टीएमटी बार, एंगल्स, चैनल, फेरो एलॉय आदि का उत्पादन करने के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में एकीकृत सुविधाएं थीं।

उधारकर्ता कंपनी मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड ने बैंकों के संघ से कई ऋण पत्र (एलसी) सुविधाओं का लाभ उठाया, जिन्हें बाद में हस्तांतरित कर दिया गया। इनमें से अधिकांश एलसी संबंधित पक्षों के नाम पर खोले गए थे, जहां से धन को समूह की कंपनियों और व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया था। तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि प्रमोटर ने बैंकों के संघ से प्राप्त ऋण निधि को डायवर्ट करने और लूटने के इरादे से अपने कर्मचारियों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर फर्जी संस्थाओं का एक जाल बनाया था।

इस तरह से डायवर्ट की गई धनराशि का इस्तेमाल निजी खर्चों और विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया। तलाशी अभियान के दौरान 4.5 करोड़ रुपये मूल्य के सोने और आभूषण तथा लग्जरी वाहनों सहित 8 वाहन बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं और उनकी जांच की जा रही है।

आगे की जांच जारी है।

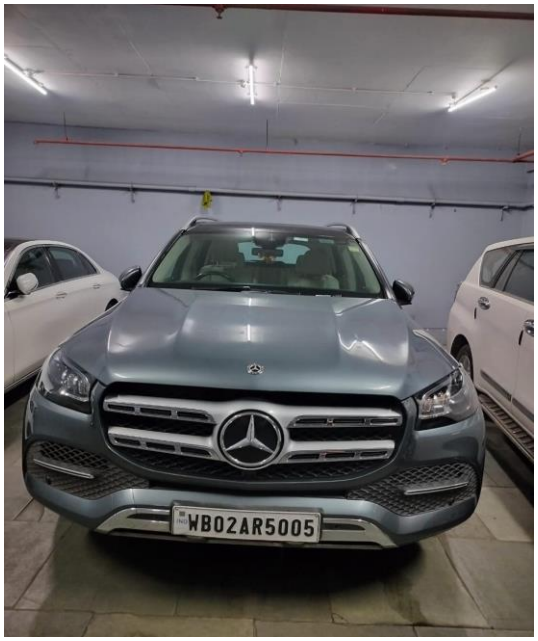
WB02AR5005

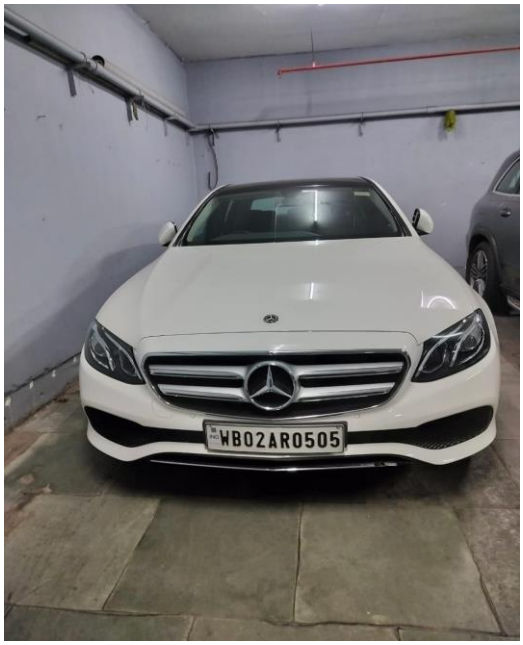
WB02AR0505

WB02AR5050